नवम्बर 202

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

जेठाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
निवासी, कुराड़ा, तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुखाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
2. सत्यनारायण पुत्र शिम्भूराम जाति जाट
3. श्रवणराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट
4. लिखमाराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट
5. नरसाराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट
6. झूमरराम पुत्र देवाराम जाति जाट
7. घासीराम पुत्र मोहनराम जाति जाट
8. जयराम पुत्र छोटूराम जाति जाट
9. तेजाराम पुत्र मोहनराम जाति जाट
10. नानूराम पुत्र मोहनराम जाति जाट
11. लालूराम पुत्र आसूराम जाति जाट
12. कानाराम पुत्र पांचूराम जाति जाट
13. गंगाराम पुत्र डालूराम जाति जाट
14. श्रीराम पुत्र डालूराम जाति जाट
15. तहसीलदार परबतसर
16. उप पंजीयक भकरी

दावा बाबत् :– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी,
श्री श्यामनिरजंन बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी
मुकदमा नम्बर :– 2023/129

निर्णय दिनांक :– 05.11.2024

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम कुराड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 590 खसरा नम्बर 1360/752 रकबा 0.6000 हैक्टर, 1361/752 रकबा 3.2200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362/752 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 892 रकबा 3.7200 हैक्टर कुल रकबा 7.6000, खाता संख्या 591 खसरा नम्बर 1369/755 रकबा 6.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1370/755 रकबा 7.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1371/755 रकबरा 0.4200 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु बेरा, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु. बेरा कुल रकबा 14.2400 हैक्टर, खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 715 रकबा 1.6700 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 01 से 14 खातेदार काश्तकार है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में खाता संख्या 590 में वादी का 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 591 में वादी का 261/1424 हिस्सा, खाता संख्या 52 में वादी का 1/16 हक हिस्सा आया हुआ है तथा अन्य प्रतिवीदगा का भी हक हिस्सा अलग–अलग आया हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 एक परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक कुषि भूमि है तथा उन्होने आपस में भाई बंटवारा कर रखा है तथा वादी का खाता संख्या 590 में खसरा नम्बर 892 में वादी का हिस्सा पश्चिमी तरफ अन्तिम रखा गया जिसमें जाने हेतु उतरी तरफ से रास्ता रखा गया जिससे आवागमन करते हुए वादी अपने हिस्से में काश्त लगातार करता आया है तथा इसी के साथ खसरा नम्बर 1361/752 में वादी का हिस्सा दक्षिणी तरफ आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 1370/755 में से धारा 131, 132 के तहत रास्ता कायम करवाया गया लेकिन उक्त रास्ते को वादी के हिस्से से पूर्व तक ही कायम करवाने हेतु सभी प्रतिवीदगण द्वारा सहमति प्रदान की हुई है। जिसकी नकल साथ प्रस्तुत है तथा उक्ता रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बराबर–बराबर कम होने का उल्लेख किया हुआ है। जिसकी लिखापढी की हुई है। जो साथ संलग्न है। खसरा नम्बर 892 में रास्ता मार्क ए से बी तक चालू है। तथा खसरा नम्बर 1370/755 में से रास्ता मार्क सी से डी तक चालू है। जिसका उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में वादी लगाातार करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा अपने खेत में अपने हिस्से अनुसार बिजारी कर ली तथा वादी द्वारा अपने हिस्से में बिजारी करने हेतु अपने हिस्से में जाने लगा तो उनके द्वारा बाधा उत्पन्न की गई। जबकी सहमति से उक्त रास्ता कायम करने हेतु सहमति दी हुई है। उक्त भूमि संयुक्त भूमि होने से प्रत्येक इंच पर वादी का भी हक हिस्सा निहित होने से दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारे की इस्तदुआ की है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी सख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने वकालतनामा पेश किया गया ।प्रतिवादी संख्या 7 से 17 ने दिनांक 29.09.2023 को जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 से 14 ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं करते हुए वादी के वाद को स्वीकार किया गया तो पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के जवाब में लगाई गई। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने दिनांक 22.08.2024 को स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

किया कि खसरा नम्बर 892 की उत्तरी सींव पर आवागमन हेतु 13 फीट 3 इंच चौड़ा रास्ता रखा गया है यह रास्ता खसरा नम्बर 892 की उत्तरी सींव से खसरा नम्बर 891 की सींव तक रखा गया है इस छोड़े गये रास्ते को कटाणी रास्ता किया जावे तथा खसरा नम्बर 892 में से रास्ते में गई भूमि को छोड़कर शेष बची भूमि के चार हिस्से किये जावे जो मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार किये जावे। खसरा नम्बर 892 में से 1/4 हिस्सा पश्चिमी दिशा का हिस्सा वादी जेठाराम का, जेठाराम के पूर्व दिशा में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 झूमरराम का, झूमरराम के पूर्व दिशा में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम का, सुखाराम के पूर्व दिशा में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 सत्यनारायण प्रतिवादी संख्या 3 श्रवणराम प्रतिवादी संख्या 4 लिखमाराम प्रतिवादी संख्या 5 नरसाराम का आया हुआ है। ,खसरा नम्बर 1370/755 के दक्षिणी पूर्वी सींव पर मकानात के आगे होता हुआ आवागमन हेतु 13 फीट 3इंच चौड़ा रास्ता रखा गया है। यह रास्ता खसरा नम्बर 1370/755 में जो कटाणी रास्ता कुए तक आया हुआ है उस रास्ते से पूर्वी दिशा में वादी के हिस्से 1361/752 तक रखा गया है। जो मौके पर रास्ता चालू है। मौके पर जिस तरह से जो बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हो रखा है उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। खसरानम्बर 1370/755 के दक्षीणी पूर्वी सींव पर मकानात के आगे होते हुए आवागमन हेतु 13 फीट 3 इंच चौड़ा रास्ता रखा गया है। जिसे कटाणी रास्ता किया जावे। खसरा नम्बर 715 की भूमि में वादी जेठाराम व प्रतिवादी संख्या 5 नरसाराम, प्रतिवादी संख्या 6 झूमरराम का कोई हक हिस्सा नहीं रहेगा। इस भूमि के बदले प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को खसरा नम्बर 1370/755 में से देगा। खसरा नम्बर 715 के राजस्व रेकर्ड से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नाम हटाया जावे तथा उकने स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम का नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार राजिनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश नहीं कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया जाकर वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/2324 दिनांक 24.09.2024 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर उभय पक्षकारों ने सही होना स्वीकार किया तथा तहसीलदार बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जाकर अलग-अलग होल्डिंग कायम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम कुराड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 590 खसरा नम्बर 1360/752 रकबा 0.6000 हैक्टर, 1361/752 रकबा 3.2200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362/752 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 892 रकबा 3.7200 हैक्टर कुल रकबा 7.6000, खाता संख्या 591 खसरा नम्बर 1369/755 रकबा 6.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1370/755 रकबा 7.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1371/755 रकबरा 0.4200 हैक्टर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु बेरा, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु. बेरा कुल रकबा।4.2400 हैक्टर, खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 715 रकबा 1.6700 हैक्टर भूमि में से तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर